कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी सहारनपुर ।

1–कार्यालयाध्यक्ष का पद नाम व पता व फोन न0	–जिला कार्यक्रम अधिकारी, विकास भवन सहारनपुर , फोन न0–0132–2765235 मो0न0 –9837081078
2–विभागाध्यक्ष का पद नाम व पता व फोन न0 लखनऊ ।	–निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0 प्र0 –इन्दिरा भवन तृतीय तल लखनऊ –0522–2287248
3–कार्यालय मुं कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों के पदनाम श्रेणी कर्मचारी	–वरिष्ठ सहायक,कनिष्ट लिपिक,जीप चालक,चतुर्थ
4–जनपद में संबंधित कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यो का संक्षिप्त विवरण	–विभागीय योजनाओं का संचालन कराना –धनराशि का आहरण वितरण, –संचालन में आनेवाली समस्याओं का निराकरण करना, एवं नियन्त्रण रखना
5–जनसामान्य से सम्बन्धित सभी स्कीमों /योजनाओं का संक्षिप्त विवरण	–संलग्न है ।
6–आप अपने अधीनस्थ कार्यालयों के नाम यदि कोई हो तो उनके कार्यकलापो का संक्षिप्त विवरण	–बाल विकास परियोजना नकुड,गंगोह, –नानौता,रामपुर मनिहारान,देवबन्द –नागल,पुवांरका,बलियाखेडी,मुजफ्फराबाद, –सढौली कदीम,सरसावा एवं शहर–सहारनपुर ।
7–यदि विभाग की कोई वैबसाईट हो तो उसका पता भी दे	–**www.icdsupweb.org**

जिला कार्यक्रम अधिकारी
सहारनपुर ।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी सहारनपुर ।

1–कार्यालयाध्यक्ष का पद नाम व पता व फोन न0	–जिला कार्यक्रम अधिकारी, विकास भवन सहारनपुर , फोन न0–0132–2765235 मो0न0 –9837081078
2–विभागाध्यक्ष का पद नाम व पता व फोन न0 लखनऊ ।	–निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0 प्र0 –इन्दिरा भवन तृतीय तल लखनऊ –0522–2287248
3–कार्यालय मुें कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों के पदनाम श्रेणी कर्मचारी	–वरिष्ठ सहायक,कनिष्ट लिपिक,जीप चालक,चतुर्थ
4–जनपद में संबंधित कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यो का संक्षिप्त विवरण	–विभागीय योजनाओं का संचालन कराना –धनराशि का आहरण वितरण, –संचालन में आनेवाली समस्याओं का निराकरण करना, एवं नियन्त्रण रखना
5–जनसामान्य से सम्बन्धित सभी स्कीमों /योजनाओं का संक्षिप्त विवरण	–संलग्न है ।
6–आप अपने अधीनस्थ कार्यालयों के नाम यदि कोई' हो तो उनके कार्यकलापो का संक्षिप्त विवरण	–बाल विकास परियोजना नकुड,गंगोह, –नानौता,रामपुर मनिहारान,देवबन्द –नागल,पुवांरका,बलियाखेडी,मुजफ्फराबाद, –सढौली कदीम,सरसावा एवं शहर–सहारनपुर ।
7–यदि विभाग की कोई वैबसाईट हो तो उसका पता भी दे	–www.icdsupweb.org

जिला कार्यक्रम अधिकारी
सहारनपुर ।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग
का नागरिक चार्टर

दृष्टि :–

महिलाओं एवं शिशुओं के कल्याणार्थ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के समन्वय एवं अनुश्रवण करने तथा महिलाओं को देश की मुख्य विकास की धारा में सम्मिलित करने, उनको सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के दृष्टिगत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाचार विभाग की स्थापना वर्ष 1975 में की गयी।

देश का भविष्य देश के बच्चों में निहित है आज के बच्चे कल के नागरिक है इस लिये यह आवश्यक है कि बच्चों के सर्वागीण विकास पर विशेष बल दिया जाये। इसके लिये बच्चों के गर्भ में आने के समय से ही देखभाल किया जाना नितान्त आवश्यक है। इसके लिये बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पोषण के लिये समुचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है।

लाभपात्र :–

07 माह से तीन वर्ष के समस्त शिशु
03 से 06 वर्ष तक के समस्त बच्चे
समस्त गर्भवती महिला
समस्त धात्री मातायें

हमारी गतिविधिया :–

1. नवजात शिशुओं की देखभाल एवं प्रारम्भिक शिक्षा
2. स्वास्थ्य प्रतिरक्षण 'टीकाकरण'
3. स्वास्थ्य जांच
4. स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा
5. दिशा निर्देशन एव सन्दर्भ सेवायें

हमारी सेवायें :–

1. अनुपूरक पोषाहार
2. स्वास्थ्य प्रतिरक्षण 'टीकाकरण'
3. स्वास्थ्य जॉच
4. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
5. स्कूल पूर्व शिक्षा
6. दिशा निर्देशन एवं सन्दर्भ सेवायें।

1. **अनुपूरक पोषाहार :–**

यूनिवर्सलाईजेशन के अन्तर्गत वर्ष 2006 में आंगनबाडी केन्द्र की परिधि में आने वाले 07 माह से 06 वर्ष आयु के समस्त बच्चों, समस्त गर्भवती / धात्री महिलाओं तथा प्रति केन्द्र 03 किशोरी बालिकाओं को अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिली के दिशा निर्देशानुसार शत–प्रतिशत लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार दिया जाना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–3678'1' / 60–2–09–2 / 1 '68' / 09 द्वारा प्राप्त अनुमोदन के क्रम में माह नवम्बर, 2009 से निम्न विवरण के अनुसार अनुपूरक पुष्टाहार प्रदान किया जा रहा है।

लाभार्थी	प्रतिमाह '25 दिन' हेतु प्रति केन्द्र आवश्यकता	प्रति आंगनबाडी केन्द्र आपूर्ति पोषाहार की मात्रा	प्रति लाभार्थी देय मात्रा
07 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चे	09 बैग	09 बैग	सामान्य बच्चें को 125 ग्राम तथा अति कुपोषित बच्चे को 200 ग्राम प्रतिदिन की दर से THR के अन्तर्गत एक सप्ताह '06 दिन' का एक साथ
03 से 06 वर्ष आयु के बच्चे	02 बैग	02 बैग	50 ग्राम प्रति लाभार्थी प्रतिदिन की दर से 'सप्ताह में बुद्धवार, शुक्रवार को छोडकर' दैनिक रूप से हॉट कुक्ड फूड से पूर्व दिया जायेगा ।
गर्भवती / धात्री महिलायें किशोरी बालिकाएं	05 बैग	05 बैग	150 ग्राम प्रति लाभार्थी प्रति गर्भवती / धात्री महिलाओं को THR के रूप में 'सप्ताह में 06 दिन हेतु' तथा किशोरी बालिकाओं को दैनिक रूप से दिया जायेगा।

2. **स्वास्थ्य प्रतिरक्षण 'टीकाकरण' :–**

विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग की सहायता से परियोजना क्षेत्र में आने वाले 0 से 6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्र पर ही ठीके लगवाये जाते हैं एवं आंगनबाउी कार्यकत्री, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य जांच क्षेत्रीय ए0एन0एम0 के माध्यम से कराती है।

3. स्वास्थ्य जांच :–

रोगों के निवारण तथा प्राथमिक उपचार के लिये आंगनबाडी कार्यकत्री द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य विभाग की स्थानीय स्तर पर कार्यरत ए0एन0एम0 से समन्वय कर समस्त पंजीकृत लाभार्थियों की स्वास्थ्य जांच कराई जाती है तथा केन्द्र पर उपलब्ध मैडिसन किट में से एक क्षेत्रीय ए0एन0एम0 के पास से उपलब्ध आवश्यक दवाइयों का दिलाने की व्यवस्था करती है।

4. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा :–

आंगनबाडी कार्यकत्री द्वारा गृह सम्पर्क के दौरान तथा आंगनबाडी केन्द्रों पर महिलाओं को बच्चों के लालन पालन, स्वास्थ्य सफाई एवं सामान्य बीमारियों के सम्बन्ध में शिक्षित किया जाता है।

5. स्कूल पूर्व शिक्षा :–

03 से 06 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है। यह समेकित बाल विकास परियोजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। बच्चों के प्राथमिक विद्यालय में जाने से पहले आंगनबाउी शिक्षा प्रक्रिया का पहला चरण है। इसका उद्‌देश्य बच्चों को शारीरिक नैतिक तथा सामाजिक विकास के साथ ही उनकी भाषा एवं वृद्धि का भी विकास करना है।

6. निर्देशन एवं संदर्भ सेवा :–

आंगनबाडी कार्यकत्री बीमार या अतिकुपोषित लाभार्थियों को जिनका उपचार आंगनबाडी केन्द्र पर संभव नही हो पाता है उन्हें समुचित उपचार हेतु विभाग द्वारा प्रदत्त संदर्भन पर्ची 'रेफरल स्लिम' के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर संदर्भित 'रेफर' कर समुचित उपचार कराया जाता है।

विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

1. **राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना 'सबला' :–**

- योजना का शुभारम्भ 19 नवम्बर 2010 से
- उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों में से जनपद सहारनपुर में भी योजना लागू।
- 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाऐं लाभार्थी समूह ।
- 11 से 18 वर्ष की सभी किशोरियों को, जो स्कूल नही जाती है, का रूझान पुनः पढाई की ओर लाना व सभी स्कूल जाने वाली बालिकाओं को योजना द्वारा लाभान्वित यिकये जाने की व्यवस्था ।
- पोषण स्वास्थ्य व परिवार सम्बन्धी जानकारी, रक्त अल्पता प्रबंधन, संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य परीक्षण व 16 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को गर्भवती व धात्री के समान मात्रा में साप्ताहिक पुष्टाहार दिये जाने का प्राविधान ।

2. **महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना :–**

शासन की सर्व जन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा समाज में बालक और बालिकाओं के घटते अनुपात, भ्रूण हत्या को रोकने एवं बालिकाओं को सम्मानजनक / आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से तथा बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने एवं बाल विवाह रोकने के उद्‌देश्य से महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना प्रारम्भ की गई है। यह योजना 15 जनवरी 2009 एवं इसके उपरान्त जन्मी बालिकाओं पर लागू होगी। बी0पी0एल0 परिवार में जन्मी पहली बालिका को योजना का लाभ मिलेगा। बी0पी0एल0 परिवार में जन्मी दूसरी बालिका को इस योजना का लाभ उसी स्थिति में मिलेगा, जब दूसरी संतान भी बालिका हो अर्थात इस योजना का लाभ अधिकतम दो बालिकाओं तक ही सीमित है। बालिका के जन्म का पंजीकरण जन्म मृत्यु पंजिका पर होना आवश्यक है। योजना के अन्तर्गत चयनित बालिका के नाम 20100.00 रूपये की एक मुश्त धनराशि 18 वर्ष के लिए इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में रखी जायेगी । बालिका के 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की स्थिति में तथा सावधि जमा की धनराशि की 18 वर्ष की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर ब्याज सहित समस्त धनराशि, जो एक लाख रूपये होगी, को बालिका के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन बालिकाओं के दादा दादी / परदादा–परदादी के नाम से बी0पी0एल0 सूची हों अथवा शहरी क्षेत्र में उनके नाम से बी0पी0एल0 या अन्त्योदय कार्ड हो एवं बालिका के माता पिता उसके दादा दादी / परदादा–परदादी पर पूर्णतया आश्रित हो तथा उसी परिवार में सम्मिलित हो को ही सम्मिलित किया जा रहा।

3. हाट कुक्ड फूड 'गर्म पका भोजन' योजना :–

माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुपालन में शासन ने पोषाहार की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पायलट बेसिस पर वित्तीय वर्ष 2006–07 में सर्वप्रथम प्रदेश के 05 जनपद उन्नाव, सहारनपुर, देवरिया, झांसी एवं मथुरा के अन्तर्गत 04–04 परियोजनाओं अर्थात कुल 20 परियोजनाओं में संचालित केन्द्रों पर हाट कुक्ड पोषाहार योजना का संचालन किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रति बच्चा रूपये 2.00, अतिकुपोषित बच्चा रूपये 2.70, गर्भवती व धात्री महिला एवं किशोरी बालिकाओं के लिये रू0 2.30 का व्यय प्रतिदिन माह में 25 दिनों के लिए निर्धारित किया गया था।

वर्तमान में निदेशालय आदेश सं0 सी–223/बा0वि0परि0/योजना–171/2008–09 दिनांक 30 जुलाई 2008 द्वारा मात्र 3–6 वर्ष आयु के बच्चों को गरम पका पकाया 'हाट कुक्ड' पुष्टाहार दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं रेसिपी के अनुसार सामग्री का क्रय स्थानीय बाजार से आंगनवाडी कार्यकत्री एवं मात्र समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाऊी केन्द्र पर गरम पका भोजन दैनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है। 500 कैलोरी प्रति बच्चा प्रतिदिन के अनुसार पोषाहार दिया जायेगा जो इनकी होम फीडिंग के अतिरिक्त होगा। पूर्व में यह 4 बाल विकास परियोजनाओं में संचालित थी अब सभी बाल विकास परियोजनाओं '11 ग्रामीण व 1 शहरी' में संचालित है। उत्तर प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 के पत्र संख्या–3190/60–2–09–2/13 '112'/02, दिनांक 20 अगस्त 2009 द्वारा निर्णय लिया गया है कि 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को आंगनबाडी केन्द्र पर हॉट कुक्ड के साथ मानिंग स्नैक के रूप में सप्ताह में 02 दिन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मौसमी फल, लाई–चना, गुड–चना आदि प्रयोग के तौर पर देते हुए उसकी कीमत, उपलब्धता एवं ग्राहयता को देख लिया जाये और इस अवधि में 04 दिन माइक्रो न्यूट्रीयन्ट फोटीफाइड फूड 'एमाईलेज रिच इनर्जी फूड' मार्निंग स्नैक के रूप में दिया जिससे बच्चों को निर्धारित मात्रा में पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

इस समय फूड एण्ड न्यूट्रीशन बोर्ड, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली / लखनऊ द्वारा दी गयी निम्न रेसिपी के अनुसार 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को हॉट कुक्ड फूड उपलब्ध कराया जा रहा है

क्र.सं.	रेसिपी का नाम	रसिपी में प्रमुख अवयव, मात्रा प्रति लाभार्थी हेतु	पोषक तत्व की मात्रा	
			प्रोटीन	कैलोरी
1.	खिचडी	मूंग/अरहर दाल–30 ग्राम, चावल–60 ग्राम, पत्ते वाली सब्जी–50 ग्राम, तेल–2.5 ग्राम नमक	10–11	319–334
2.	दलिया	दलिया–70 ग्राम, चीनी–25 ग्राम/	8.3–10.3	322–37

	मीठा / नमकीन	नमक, तेल / घी–5 ग्राम		
3.	स्थानीय मौसमी उपलब्ध फल / सब्जी को मिश्रित करते हुए तैयार खाद्य पदार्थ यथा 'सत्तू, चूडा, मटर, पोहा आदि स्थानीय रूचि के अनुसार'			

मार्निंग स्नैक :–

भारत सरकार के नवीन दिशा–निर्देश एवं शासन के निर्णय दिनांक 20 अगस्त, 2009 के अनुपालन में अब 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को हॉट कुक्ड फूड के अतिरिक्त सप्ताह में 04 दिन 'सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार' मार्निंग स्नैक के रूप में माइक्रो न्यूटीयन्ट फोर्टीफाइड फूड 'एमाईलेज रिच इनर्जी फूड' की 50 ग्राम मात्रा प्रति लाभार्थी प्रतिदिन की दर से तथा सप्ताह के 02 दिन 'बुधवार एवं शुक्रवार' को मौसमी फल, लाई–चना आदि दिया जायेगा ।

भारत सरकार द्वारा 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों हेतु अनुपूरक पुष्टाहार की पुनरीक्षित दर रूपये 4.00 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन के सापेक्ष हॉट कुक्ड फूड पूर्व निर्धारित दर के अन्तर्गत दिया जाता रहेगा शेष धनराशि से बच्चों को मार्निंग स्नैक उपरोक्तानुसार निर्धारित शिडयूल के अनुसार दिया जायेगा।

मार्निंग स्नैक के रूप में बच्चों को सप्ताह में 04 दिन दिये जाने वाला एमईलेज रिच इनर्जी फूड की आपूर्ति परियोजनाओं पर निदेशालय स्तर से करायी जायेगी, शेष सप्ताह में 02 दिन दिये जाने वाले मौसमी फल लाई–चना, आदि का क्रय स्थानीय स्तर पर आंगनबाडी कार्यकत्री द्वारा मातृ समिति की अध्यक्षा / सदस्य की देख–रेख में किया जायेगा और इस पर होने वाले व्यय का लेखा जोखा भी हॉट कुक्ड फूड में प्रयुक्त होने वाले खाद्यान्न आदि के क्रय के समान तैयार कर आंगनबाडी केन्द्र पर रखा जायेगा ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
सहारनपुर